

## न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति०संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 10/2019/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

तारीख दायरा: 9.1.2019

अन्तर्गत धारा: 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री छीतरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली निवासी रायपुरा हाल ककरेश्वर महादेव मंदिर के पास कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलांत

बनाम

1. पांचूलाल आत्मज छीतरलाल जाति माली निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोजेन्ट


स्थित : श्री विनिल अग्रवाल अभिभाषक अपीलांत  
श्री जगदीश खण्डेलवाल अभि० रेस्पोजेन्ट क्रम-1

:::निर्णय:::

दिनांक 24.7.2019

अपीलांती ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 251/2012 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान लक्ष्मीबाई बनाम पांचूलाल वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 18.7.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 11.7.2012 को नामान्तरकरण सं० 216 ग्राम कंसुवा तह० लाडपुरा मे " मुताबिक रीलीज डीड के नामान्तरकरण स्वीकृत है" पारित आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील न्यायालय मे जिला कलक्टर कोटा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांत व रेस्पोजेन्ट क्रम-1 आपास मे सगे भाई बहिन है। रेस्पोजेन्ट क्रम-1 ने ग्राम कंसुवा के माल मे ख० नं० 208 की 0.17 है०, ख० नं० 209 की 0.28 है० मे निहित हिस्से मे सहमति से बटवारे की कहकर अपीलांत को उपपंजीयक कार्यालय मे लाकर छलपूर्वक, धोखा देकर बिना सहमति के तथा अपीलांत को बिना पढकर सुनाये विवादित आराजी का हक त्याग विलेख रेस्पोजेन्ट क्रम-1 द्वारा अपने पक्ष मे करा लिया। अपीलांती ने रीलीज डीड के केन्सीलेशन का वाद सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर टेट मे पेश किया हुआ है जिसमे दोनो पक्षो को सुनकर स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त रीलीज डीड के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्त द्वारा अपील के समर्थन मे ठोस साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करने से अपील अपीलांत अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.7.2018 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधि एवं न्याय संचिका मे निहित तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सही रूप से विवेचन न कर मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। वास्तविकता यह है कि अपीलांत व रेस्पोजेन्ट क्रम-1 की शामलाती आराजी ग्राम कंसुआ कोटा मे ख० नं० 208 रकबा 0.17 है०, ख० नं० 209 रकबा 0.28 है० कुल रकबा 0.45 है मे अपीलांत का 1/4 हिस्सा निहित है तथा अन्य आराजी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा मे ख० नं० 310 रकबा 0.74 है० मे अपीलांत का 1/8 हिस्सा निहित है उक्त आराजी पुश्तेनी है। अपीलांत अपने हिस्से की आराजी पर शुरु से ही काबिज काश्त है। रेस्पोजेन्ट क्रम-1 ने दिनांक 9.7.2012 को अपीलांत के कुन्हाडी आवास पर बताया कि रायपुरा स्थित आराजी को 15 लाख रू० मे बेचान करने की बात करली है तथा ग्राम कंसुआ स्थित आराजी का बंटवारा किया जाना है जिसमे हस्ताक्षरो की आवश्यकता है। रेस्पोजेन्ट क्रम-1 ने अपीलांत के पुत्र व पति की अनुपस्थिति मे अपीलांत को लेकर रेस्पोजेन्ट क्रम-2 के कार्यालय मे लेजाकर कागज तैयार करने का कहकर अपीलांत के हिस्से की आराजी का रीलीज डीड तैयार करवाकर लाया और अपीलांत के अशिक्षित होने का अनुचित लाभ उठा कर उसे बिना पढाये, सुनाये उसे बटवारे का कागज बता कर उस पर अपीलांत के निशानी अंगूठाकरवा लिये। इस प्रकार धोखा देकर उक्त रीलीज डीड की फर्जी व कुटरचित रचना कर ली। उक्त कुटरचित रीलीज डीड का ज्ञान होने पर उक्त रीलीज डीड को निरस्त करने हेतु एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा मे प्रस्तुत किया जो दिनांक 2.6.16 को खारिज कर दिया गया उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 24.6.2016 को अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला न्यायाधीश कोटा द्वारा अपर जिला

  
दिनांक २० जूलाई १९

न्यायाधीश क्रम-3 कोटा के यहां अंतरित किया गया जो न्यायालय में लम्बित है जिसके संदर्भ में अपीलांत द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय को बताया गया लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर मनमाने तौर पर अपीलांत की अपील खारिज कर दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय आरविट्रेरी तौर पर सही न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनी स्थिति यह है कि सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा में पारित निर्णय के खिलाफ अपील पेश कर देने, अपील के लम्बित रहने के कारण न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर नहीं किया। अपीलांटा की तबियत ज्यादा खराब होने से दिनांक 9.7.2018 को महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में भरती करवाया गया इस कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी। स्वस्थ होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क तो उन्होंने निर्णय के बारे में बताया जिसकी नकल प्राप्त कर अपील तत्काल पेश की गई अतः दिनांक 10.12.18 तक अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षमा योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.7.2018 अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 क्रम-1 ने ग्राम रायपुरा स्थित आराजी को विक्रय किया जाना तथा ग्राम कंसुआ स्थिति आराजी का बंटवारा किये जाने की कहकर दस्तावेज तैयार करवाकर अपीलांत के निशानी अंगूठा करवा लिये। इस प्रकार धोखा देकर उक्त रिलीज डीड की फर्जी व कुटरचित रचना कर ली जिसको निरस्त करने हेतु एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा में पेश किया जो दिनांक 2.6.16 को खारिज कर दिया गया उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में दिनांक 24.6.2016 को अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला न्यायाधीश कोटा द्वारा अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3 कोटा के यहां अंतरित किया गया जो न्यायालय में लम्बित है जिसके संदर्भ में अपीलांत द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय को बताया गया लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा द्वारा खारिज करने की फाईडिंग देते हुये मनमाने तौर पर अपीलांत की अपील खारिज कर दी गई जो गलत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय आरविट्रेरी तौर पर सही न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनी स्थिति यह है कि सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा में पारित निर्णय के खिलाफ अपील पेश कर देने, अपील के लम्बित रहने के कारण न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत/अवैधानिक है। अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1983 पेज 41 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम-1 ने बहस में बताया कि अपीलांत व रेस्पो0 क्रम-1 सगे बहिन भाई है। अपीलांत ने स्वेच्छा से रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित करवाई है। बाद में दावा किया। रिलीज डीड के आधार पर दिनांक 11.7.2012 को नामान्तरकरण सं0 216 व 250 तस्दीक हुआ है। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील बेरून मियाद पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात का समुचित परीक्षण कर अपीलांत की अपील को जेरअपील निर्णय से खारिज किये जाने पर न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो भी बेरून मियाद है। अपील 4 माह बाद पेश की गई। रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक हुये है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा द्वारा अपीलांत की अपील को खारिज किया गया जिसकी अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3 में लम्बित है। न्यायालय की आदेशिका अनुसार 2 साल से बहस में चल रही है। अपीलांत के अधिवक्ता बहस नहीं कर रहे हैं अपील पेंडिंग है। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांत द्वारा अपील बेरून मियाद पेश की गई है। विलम्ब अवधि सद्भाविक होने से न्यायहित डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में अपीलांत द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मियाद बाहर होने का कथन किया गया किन्तु अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन/प्रतिउत्तर में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये ऐसी स्थिति में अपीलांत द्वारा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख नहीं है। लिहाजा न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी बावत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी आदेशिका न्यायालय एडीजे कोर्ट क्रम 3 कोटा एवं प्रमाणित प्रतिलिपी अपील में न्यायालय एडीजे कोर्ट क्रम 3 निर्णय में सहायक होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लेने बावत पेश किये गये। उक्त दस्तावेजात प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत लक्ष्मीबाई द्वारा रेस्पो0 क्रम-1 पांचूला

के पक्ष में दिनांक 9.7.2012 को निष्पादित रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण सं० 216 दिनांक 11.7.2012 ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा तस्दीक किया गया है। अपीलान्त द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा में दीवानी वाद सं० 56/12 वास्ते घोषणा बावत निरस्त किये जाने रिलीज डीड एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 2.6.2016 से अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख फर्द अहकाम प्रकरण सं० 5/16 एवं अपील में की प्रमाणित प्रतिलिपी के अवलोकन से माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 की अपील माननीय सेशन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 कोटा में लम्बित होना प्रकट होता है जिसमें पक्षकारान के हितो निर्धारण होना है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्त का मुख्य तर्क है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्यों पर गौर नहीं किया। सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा में पारित निर्णय के खिलाफ अपील पेश कर देने, अपील के लम्बित रहने के कारण न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हुआ है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत/अवैधानिक है"। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट है अपीलान्त लक्ष्मीबाई द्वारा रेस्पोंड क्रम-1 पांचूलाल के पक्ष में दिनांक 9.7.2012 को निष्पादित रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण सं० 216 दिनांक 11.7.2012 ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा तस्दीक किया गया है। अपीलान्त द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 उत्तर कोटा में दीवानी वाद सं० 56/12 बावत रिलीज डीड निरस्त किये जाने बावत पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2.6.2016 से अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है जिसकी अपील माननीय सेशन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 कोटा में लम्बित होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के हितो का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील प्रकरण में तय किया जाना है। चूंकि रिलीज डीड को किसी भी न्यायालय द्वारा अब तक निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में रिलीज डीड के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण, माननीय न्यायालय सेशन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 कोटा में रिलीज डीड के संबध में अपील लम्बित रहते निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्यों का अवलोकन कर जेरअपील निर्णय दिनांक 18.7.2018 से अपील अपीलान्त खारिज करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

7

( प्रियंका गोस्वामी )  
अति० सभागीय आयुक्त  
कोटा